छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 31.01.08

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6 –2/08/20 राज्य शासन एतद् द्वारा प्रदेश में डाइट/बी.टी.आई./महाविद्यालयों/संस्थाओं में द्विवर्षीय डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा विस्तार : (1)** इन नियमों का नाम छत्तीसगढ़ डी. एड. प्रवेश नियम 2007 होगा। **(2)** यह छत्तीसगढ़ राज्य के सभी शासकीय एवं निजी डी. एड. पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं पर लागू होंगे। **(3)** यह अधिसूचना प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावशील होंगी।

2. **परिभाषाएँ –** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ द्वारा अन्यथा अभिप्रेत न हो–

(क) **''राज्य शासन''** से तात्पर्य है, छत्तीसगढ़ शासन,

(ख) **''श्रेणी''** से तात्पर्य है, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर)

(ग) **''संवर्ग''** से तात्पर्य है, महिला, निःशक्त, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिक,

(घ) **''प्री डी. एड. परीक्षा''** से तात्पर्य है, डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा,

(ड.) **''संचालक''** से तात्पर्य है, संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्,

(च) **''अनुदान प्राप्त संस्था/महाविद्यालय''** से तात्पर्य है, ऐसी संस्था/महाविद्यालय जिसने कभी भी राज्य शासन से किसी भी प्रकार का अनुदान, अथवा चल–अचल संपत्ति की कोई सहायता प्राप्त की हो, और ''गैर अनुदान प्राप्त संस्था/महाविद्यालय'' का तात्पर्य भी इसी अनुसार निकाला जाएगा,

(छ) **''गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्था/महाविद्यालय''**से अभिप्रेत है कि ऐसे संस्था/महाविद्यालय जो छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा प्रमाणित हो तथा महाविद्यालय के न्यूनतम 50 प्रतिशत सीट धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए आरक्षित हो।

(ज) **''डाइट''**से तात्पर्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान एवं ''बी.टी.आई.'' से तात्पर्य बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है।

[1](झ) **''ऑनलाइन आंबटन''** से अभिप्रेत है कि प्री.डी.एड. परीक्षा प्रावीण्य सूची के ऐसे उम्मीदवार जो डी.एड.पाठ्यक्रम के लिए निर्धारित अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें डी. एड. पाठ्यक्रम हेतु महाविद्यालय आबंटित हो सकता है, विकल्प फार्म भरने हेतु निर्धारित केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते हैं। ऐसे उम्मीदवारों को प्री.डी.एड.परीक्षा प्रावीण्यता, संस्था/महाविद्यालय में रिक्त सीटों तथा उनके द्वारा भरे गये संस्थाओं/महाविद्यालयों के विकल्प के आधार पर संस्था/महाविद्यालय का आबंटन किया जाता है।

3. डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश –

[2](क) **प्री डी. एड. परीक्षाः–**सामान्यतया डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश प्री डी. एड. परीक्षा की प्रावीण्य सूची के आधार पर किए गए आनलाइन आबंटन के माध्यम से दिया जायेगा।

(ख) **मूल निवासी –**राज्य के शासकीय तथा शासकीय अनुदान प्राप्त डाइट/बी.टी.आई. /महाविद्यालयों/संस्थाओं में डी. एड. पाठ्यक्रम की समस्त सीटों पर तथा निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों में 80 प्रतिशत सीटों पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को ही प्रवेश दिया जाएगा। निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों की 20 प्रतिशत सीटों पर छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्रवेश दिया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ के मूल निवासी की परिभाषा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

(ग) **आयु सीमा** – डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु प्री डी.एड. परीक्षा वर्ष की 01 जुलाई को 17 वर्ष होगी तथा अधिकतम आयु 33 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग(क्रीमीलेयर को छोडकर)

---

1. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
2. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

एवं संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु में छूट छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप होगी।

4. **प्री डी. एड. परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हताएं** – डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए निम्नलिखित अर्हताएँ होंगी –

(क) भारत का नागरिक हो।

(ख) हायर सेकेण्डरी (कक्षा 12 वीं) अथवा उसके समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंक के साथ उत्तीर्ण हो, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) एवं राज्य सरकार के नियमों के अनुसार संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अंकों मे 5 प्रतिशत छूट की व्यवस्था होगी। ऐसे अभ्यर्थियों को जो + 2 परीक्षा में बैठे है प्री डी.एड. परीक्षा में प्रोवीजनल प्रवेश दिया जाएगा। परन्तु उन्हें [1]आनलाइन विकल्प फार्म भरने के समय + 2 परीक्षा उत्तीर्ण का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

5. **डी. एड. पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण** – डी. एड. पाठ्यक्रम की उपलब्ध सीटों में वर्टिकल तथा क्षैतिज दोनों प्रकार का आरक्षण होगा। वर्टिकल आरक्षण के लिए श्रेणियाँ होगी, तथा क्षैतिज आरक्षण के लिए संवर्ग होंगे।

[2]**(क) वर्टिकल आरक्षण अथवा श्रेणी** वर्टिकल आरक्षण में जिलेवार आरक्षण लागू होगा अर्थात् अनुसूचिचत जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के लिए आरक्षण का प्रतिशत जिलेवार आरक्षण सूची I के अनुसार होगा। इसके लिए अभ्यर्थी जिस जिले के डी.एड. संस्था में प्रवेश लेना चाहता है, उसी जिले का निवासी अथवा उसी जिले से बारहवीं कक्षा उत्तीर्ण करना होगा। आबंटन सूची जिलेवार जारी होगी । यदि किसी डाइट/बी.टी.आई.में आबंटन के पश्चात् सीट रिक्त रह जाती है तो उसे अन्य जिले के अभ्यर्थियों से प्रावीण्यता के आधार पर भरी जा सकेगी। नये जिले जिसमें डाइट/बी.टी.आई.उपलब्ध नहीं है के अभ्यर्थी अपने पूर्व जिले की डाइट /बी.टी.आई के लिए आवेदन कर सकेंगे।

(ख) क्षैतिज आरक्षण अथवा संवर्ग का तात्पर्य है कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों की सीटों पर समान रूप से होगा। क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा –

---

1. छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।
2. नियम 5 (क) के स्थान पर छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

(एक) निःशक्त संवर्ग के लिए 6 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप निःशक्त होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(दो) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संवर्ग श्रेणी के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अथवा उनका पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(तीन) भूतपूर्व सैनिक संवर्ग के लिए 3 प्रतिशत। इस संवर्ग में आरक्षण का लाभ पाने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुरूप भूतपूर्व सैनिक होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(चार) महिला संवर्ग के लिए 30 प्रतिशत।

(ग) शासकीय और अनुदान प्राप्त डाइट/बी.टी.आई. में गणित एवं विज्ञान समूह के लिए कम से कम 50ः स्थान आरक्षित होगा। शेष स्थान अन्य समस्त समूह जैसे कला, वाणिज्य, कृषि, गृह विज्ञान, व्यावसायिक शिक्षा, ललित कला इत्यादि के लिए होंगे। किसी एक समूह के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में किसी अन्य समूह के अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जा सकेगा।

(ध) उपरोक्त आरक्षण नियम **''गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं/महाविद्यालयों एवं गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं/महाविद्यालयों''** में लागू नहीं होंगे।

6. **प्री डी. एड. परीक्षा** –

(क) प्रतिवर्ष डी. एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक प्री. डी. एड. परीक्षा आयोजित की जाएगी।

(ख) राज्य शासन आदेश द्वारा प्री. डी. एड. परीक्षा आयोजित करने की एजेंसी नियुक्त करेगा। राज्य शासन किसी भी समय इस हेतु किए गए आदेश द्वारा एजेंसी बदल सकेगा।

(ग) प्री. डी. एड. परीक्षा में एक ही प्रश्न पत्र होगा। अंकों का विभाजन निम्नानुसार होगा–

1. सामान्य मानसिक योग्यता 30 प्रतिशत ।
2. सामान्य ज्ञान 20 प्रतिशत।
3. शिक्षण अभिरूचि 30 प्रतिशत ।
4. सामान्य हिन्दी 10 प्रतिशत ।
5. सामान्य अंग्रेजी 10 प्रतिशत ।

(घ) केवल बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जायेंगे।

(ड.) निगेटिव मार्किंग नहीं होगी।

(च) प्री. डी. एड. परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन तथा अंकों की पुनर्गणना नहीं की जाएगी।

7. प्रावीण्य सूची–प्री. डी. एड. परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर परीक्षा लेने वाली एजेंसी द्वारा अनुसूचित जाति श्रेणी, अनुसूचित जनजाति श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी तथा अनारक्षित श्रेणी की पृथक–पृथक प्रावीण्य सूचियाँ तैयार की जायेंगी। अनारक्षित श्रेणी की प्रावीण्य सूची में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा सामान्य, सभी जातियों को शामिल किया जाएगा। प्रावीण्य सूचियाँ छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों तथा अन्य अभ्यर्थियों के लिए पृथक–पृथक बनाई जायेंगी। प्रावीण्य सूची में अभ्यर्थी का वर्ग भी अंकित किया जायेगा। समान प्राप्तांक होने पर अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्रावीण्यता क्रम में ऊपर रखा जाएगा।

[1]8. ऑनलाइन आबंटन–

(क) प्रावीण्य सूची की घोषणा के पश्चात् संस्थाओं में प्रवेश ऑनलाइन आबंटन विधि से किया जावेगा।

(ख) ऑनलाइन विकल्प फार्म भरते समय उम्मीदवार आवश्यक मूल प्रमाण – पत्रों/दस्तावेजों तथा 300/– रू. (अक्षरी–तीन सौ रूपये मात्र) के रेखांकित बैंक ड्राफ्ट संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के नाम से रायपुर में देय के साथ निर्धारित केन्द्र में स्वयं के व्यय से उपस्थित होगें। इन केन्द्रों में अभ्यर्थियों के प्रमाण प्रत्रों की प्रांरभिक जांच होगी।

(ग) ऑनलाइन फार्म भरने की सूचना एवं केन्द्रों की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट तथा राज्य के दो प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे।

(घ) अभ्यर्थी केवल उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प चुने जहां वे प्रवेश लेना चाहते हैं।

(ड.) अभ्यर्थियों को संस्था/महाविद्यालय का आबंटन उसके द्वारा दिये गये ऑनलाइन विकल्प (संस्था को दी गई प्राथमिकता) प्री. डी. एड. परीक्षा में उसका प्रावीण्यता क्रम तथा सीटों की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

---

1. नियम 8 के स्थान पर छ.ग. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना क्रमांक F6-02/20 एक/2008, दिनांक 01 अप्रैल 2010 द्वारा संशोधित प्रतिस्थापित।

(च) सीट आबंटन की सूची राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के वेबसाइट पर तथा जिस केन्द्र में अभ्यर्थी ने विकल्प फार्म भरा है उसी केन्द्र पर उपलब्ध होगी। सीट्स आबंटन की सूचना डाक द्वारा अभ्यर्थी को नहीं दी जायेगी।

(छ) ऑनलाइन आबंटन के पश्चात् निर्धारित समय अवधि में अभ्यर्थी या तो आबंटित संस्था में जाकर प्रवेश ले अथवा अपना आबंटन निर्धारित कालावधि समाप्त होने के पहले निरस्त कराकर नया विकल्प फार्म उसी केन्द्र में जहां पहले फार्म भरा था, ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। इसके लिए निर्धारित राशि पुनः जमा करनी होगी अन्यथा ऐसा नहीं करने पर अभ्यर्थी का महाविद्यालय आबंटन निर्धारित समयावधि के पश्चात् स्वयमेव निरस्त हो जायेगा तथा उस अभ्यर्थी को आगे की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने वाले अभ्यर्थी को रिक्त सीटों के लिए महाविद्यालय आंबटन अगली सूची जारी करते समय किया जावेगा। पुनः विकल्प फार्म भरने का यह अवसर केवल एक बार के लिए होगा।

(ज) संस्था/महाविद्यालय द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर प्रवेश दिया जायेगा। अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन आबंटन के संबंध में किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक का निर्णय अंतिम होगा।

9. **<u>आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश</u>** –

आरक्षित संवर्ग के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन संवर्गों के लिए आरक्षित सीटों को उसी श्रेणी की अनारक्षित सीटों में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

10. **<u>आरक्षित श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश</u>**–

किसी भी आरक्षित श्रेणी में पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश निम्नानुसार दिया जाएगा–

(क) अनुसूचित जाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(ख) अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें अनुसूचित जाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएगी।

(ग) अनुसूचित जाति श्रेणी एवं अनुसूचित जनजाति श्रेणी दोनों के ही पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इन श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(घ) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के पर्याप्त अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में इस श्रेणी के लिए आरक्षित सीटें पहले अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों से और इसके बाद भी सीटें रिक्त रहने पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

(ड.) सभी आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में ही आरक्षित सीटें अनारक्षित की जायेंगी।

11. **छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी पर्याप्त संख्या में उपलब्ध न होने की दशा में प्रवेश**–

इन नियमों में जो सीटें छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों से ही भरी जाना अनिवार्य हैं, उन सीटों के लिए पर्याप्त संख्या में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में यह सीटें भी अन्य अभ्यर्थियों से भरी जा सकेंगी, परंतु यह नियम केवल निजी गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं एवं गैर अनुदान प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थाओं में लागू होंगे।

12. **प्रवेश का निरस्तीकरण**–

यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी के संस्था/ महाविद्यालय में प्रवेश पाने के पीछे किसी झूठी या गलत सूचना का आधार था अथवा उसने कोई प्रारंभिक तथ्य छुपाया था, अथवा प्रवेश के बाद की अवधि में यह पता चलता है कि उसे किसी त्रुटि अथवा चूक के कारण प्रवेश मिल गया था तो ऐसी अभ्यर्थी को दिया गया प्रवेश उसके अध्ययन की अवधि में बिना किसी पूर्व सूचना के संस्था प्रमुख द्वारा निरस्त किया जा सकेगा। प्रवेश को लेकर किसी भी विवाद अथवा संदेह की स्थिति में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा।

13. **संस्था/महाविद्यालय की फीस**–

सभी संस्थाओं/महाविद्यालयों को इस संबंध में राज्य शासन के सामान्य निर्देशों के अध्यधीन रहते हुए अपनी फीस निर्धारित करने का अधिकार होगा। परंतु यह कि महाविद्यालय अपनी फीस इस प्रकार निर्धारित करेंगे, कि फीस अत्यधिक लाभ कमाने का जरिया न बन जाए। फीस का निर्धारण महाविद्यालयों को अपनी अधोसंरचनाओं एवं मानव संसाधनों पर किए जाने वाले व्यय के अनुरूप करना होगा तथा वे इसकी एक लेखा परीक्षित विवरणी राज्य शासन को सौपेंगे तथा सार्वजनिक रूप से आम जनता की सूचना के लिए प्रदेश के कम से कम दो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित करेंगे। परंतु यह भी कि संस्थाओं/महाविद्यालयों को प्री. डी. एड. परीक्षा का प्रास्पेक्ट्स छापने के पूर्व अपनी फीस प्री. डी. एड. परीक्षा एजेंसी तथा राज्य शासन को लिखित में सूचित करनी होगी, ताकि फीस की जानकारी प्रास्पेक्ट्स में छापी जा सके। परंतु यह भी कि एक बार किसी अभ्यर्थी को प्रवेश देने के पश्चात् उस अभ्यर्थी के लिए फीस बढ़ाई नहीं जा सकेगी।

14. **नियमों की व्याख्या**–

प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के चयन से संबंधित सभी नीतिगत प्रश्नों का निर्णय करने के लिए राज्य शासन अंतिम रूप से प्राधिकारी होगा। यदि प्रवेश के इन नियमों की व्याख्या से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो राज्य शासन का निर्णय अंतिम तथा बंधनकारी होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा

आदेशानुसार

(नंदकुमार)

सचिव

छत्तीसगढ़ शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

अनुसूची–I

जिलेवार आरक्षण का प्रतिशत

क्र.	जिले का नाम	संबंधित डाइट/बी.टी.आई.	आरक्षण का प्रतिशत			
			सामान्य	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1.	सरगुजा	अम्बिकापुर	25	06	55	14
2.	कोरिया	कोरिया	25	06	55	14
3.	बिलासपुर	पेण्ड्रा, बी.टी.आई.बिलासपुर	43	19	24	14
4.	जांजगीर–चांपा	जांजगीर	43	19	24	14
5.	कोरबा	कोरबा	43	19	24	14
6.	रायगढ़	धर्मजयगढ़	25	12	49	14
7.	जशपुर	जशपुर	25	12	49	14
8.	राजनांदगांव	खैरागढ़, बी.टी.आई. डोंगरगांव	49	11	26	14
9.	कबीरधाम	कबीरधाम	49	11	26	14
10.	दुर्ग	बेमेतरा	60	13	13	14
11.	रायपुर	रायपुर	52	15	19	14
12.	धमतरी	नगरी	52	15	19	14
13.	महासमुंद	महासमुंद	52	15	19	14
14.	बस्तर	बस्तर	12	06	68	14
15.	कांकेर	कांकेर	12	06	68	14
16.	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	12	06	68	14

सचिव,

छ.ग.शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

डी.एड.पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों के लिए

//आवश्यक सूचना//

1. ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने की तिथि तथा केवल कार्यक्रम का विज्ञापन ही एस.सी.ई आर.टी. के वेबसाइट **http://scert.cg.gov.in** में तथा छ.ग. राज्य के कम से कम दो प्रमुख समाचार पत्रों में ऑनलाइन आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के 3–4 दिवस पूर्व देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त आबंटन प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा–निर्देश एस.सी.ई.आर.टी.के वेबसाइट में दिया गया है इसका अध्ययन ध्यानपूर्वक कर लेवें।
2. आवश्यक दिशा निर्देश में ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के लिए निर्धारित केन्द्रों की सूची भी दी गई है।
3. पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी आबंटन प्रक्रिया शुल्क रु. 300/– चालान के माध्यम से लिया जायेगा। चालान का प्रारूप एस.सी.ई.आर.टी.के वेबसाइट में दिया गया है।
4. अभ्यर्थियों को महाविद्यालय आबंटन की सूचना डाक द्वारा नहीं दी जायेगी। अभ्यर्थी आबंटन की जानकारी परिषद् के वेबसाइट **http://scert.cg.gov.in** में जाकर MKCL के साइट में जाने के लिंक का उपयोग कर MKCL के वेबसाइट में अथवा अपने **Login** में विकल्प फार्म क्रमांक/प्री.डी.एड. रोल नम्बर Submit कर प्राप्त कर सकते हैं।
5. महाविद्यालय आबंटित होने के बाद अभ्यर्थी को अपने केन्द्र में जाकर अस्थाई सीट्स आबंटन पत्र (प्रवेश सूचना) केन्द्र समन्वयक के हस्ताक्षर के साथ प्राप्त करना होगा या वह MKCL के वेबसाइट oasis.mkcl.org/cgded2015 में अपना विकल्प फार्म/प्री. डी.एड. का रोल नम्बर Submit कर आबंटन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर सकेगा। आबंटन पत्र के बिना चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित संस्था द्वारा प्रवेश नहीं दिया जाएगा। महाविद्यालय को भी चयनित अभ्यर्थी को ऑनलाइन प्रवेश देना होगा। ऐसा नहीं करने पर महाविद्यालय को आगामी सूची में सीटें रिक्त रहने पर भी छात्र आबंटित नहीं किया जायेगा।
6. महाविद्यालय/संस्था में प्रवेश के समय उम्मीदवार के मूल दस्तावेजों का सत्यापन किया जायेगा, उसके उपरांत ही प्रवेश दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं चरित्र प्रमाण पत्र मूल में प्रस्तुत करना होगा। गलत/भ्रामक जानकारी देकर प्रवेश लेने पर प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा जिसकी समस्त जवाबदारी अभ्यर्थी की होगी। साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जावेगी।
7. प्रवेश के उपरांत महाविद्यालय परिवर्तन अथवा आपसी स्थानांतरण का प्रावधान नहीं है।
8. 30 सितम्बर 2015 के पश्चात् सत्र 2015–16 हेतु किसी भी प्रकार की प्रवेश प्रकिया नहीं की जावेगी।
9. समय–समय पर संशोधित नियम scert के वेबसाइट पर http://scert.cg.gov.in में देखे जा सकते हैं।
10. निजी एवं शासकीय संस्थाओं/महाविद्यालयों का प्रवेश शुल्क शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगा। इसकी जानकारी `बमतज के वेबसाइट **http://scert.cg.gov.in** से प्राप्त की जा सकती है।
11. ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में भाग लेने मात्र से किसी अभ्यर्थी द्वारा सीट आबंटन हेतु दावा नहीं किया जा सकता है।

(संजय कुमार ओझा)

संचालक

डी.एड. 2015 के लिए पाठ्यक्रम
(सभी प्रश्न हायर सेकेन्डरी परीक्षा स्तर के पूछे जायेंगे)
भाग – 1
सामान्य मानसिक योग्यता

30 अंक

इसमें मानसिक योग्यता में निहित निम्नांकित कार्य आते हैं :–

तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, आंकिक योग्यता, आकाशीय संबंध आदि।

इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं – विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, अक्षर क्षेणी, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र,वर्ग एवं अंक, गणितीय संक्रियाएँ,चित्रों का मिलान, घन संबंधी विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि–आदि।

भाग – 2
सामान्य ज्ञान

20 अंक

इस प्रश्न पत्र में निम्नांकित विषय रहेंगे। केवल सामान्य विज्ञान विषय को छोड़कर शेष अन्य सभी विषय भारत एवं छत्तीसगढ़ तक सीमित रहेंगे।

1. भारतीय इतिहास :	भारतीय सांस्कृतिक विकास, ऐतिहासिक घटनाएँ, भारतीय स्वतंत्रता का इतिहास (1857से 1945तक), 1947 के बाद का घटनाक्रम, सुधार आंदोलन, राष्ट्रीय एकता
2. नागरिक शास्त्र/राजनीति विज्ञान	मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार, शिक्षा, भाषा, सांस्कृतिक, विविधतायें राष्ट्रीय प्रतीक,राष्ट्रीय व्यक्तित्व, लोकसभा राज्य सभा,मुख्य संवैधानिक प्रावधान।
3. अर्थशास्त्र	सामाजिक एवं आर्थिक विकास, जनसंख्या परिप्रेक्ष्य, सकल राष्ट्रीय उत्पादन और प्रति व्यक्ति आय, शिक्षा का बजट, राष्ट्र एवं राज्य, नियोजन प्रक्रिया, कृषि, ग्रामीण विकास, औद्योगिक एवं व्यापारिक विकास, भारतीय अर्थव्यवस्था, बैंक प्रणाली, रोजगार समस्या, वर्तमान आर्थिक घटनाक्रम।
4. भूगोल	प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण चेतना, वनस्पति एवं प्रणाली समूह, मिट्टी और उसके प्रकार, खनिज, भारत के राज्य, उनकी भौगौलिक स्थिति।
5. सामान्य विज्ञान	मुख्य आविष्कार एवं आविष्कारक, जन विज्ञान आंदोलन, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य विज्ञान एवं जनसंख्या चेतना, जीवन की गुणवत्ता।
6.खेल और शिक्षा,योग शिक्षा,मूल्य शिक्षा	भारत के विभिन्न शिक्षा से संबंधित आयोग व शिक्षा नीतियों की समीक्षा, औपचारिकेतर शिक्षा/पूर्ण साक्षरता अभियान/सतत् शिक्षा संबंधी रिपोर्ट्स, शैक्षिक तकनीक विभिन्न नवाचार, प्रोजेक्ट और शिक्षा में प्रयोग, शिक्षा का लोक व्यापीकरण/प्रारंभिक शिक्षा का लोकव्यापीकरण/ सबके लिए शिक्षा/जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सर्व–शिक्षा अभियान,राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुप रेखा 2005,सतत् एवं समग्र मूल्यांकन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कानून 2009, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्,राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, दूरस्थ शिक्षा/संचार माध्यम, खेलकूद, योग एवं उपलब्धि शाला, स्वच्छता एवं शाला प्रबंधन।

भाग–3
शिक्षण अभिरूचि **30 अंक**

शिक्षण अभिरुचि के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य व शिक्षा शास्त्र सम्मिलित है –

बच्चों के प्रति अभिवृत्ति, अनुकूलन की योग्यता, व्यवसाय संबंधी सूचनाएं, व्यवसाय में रूचि। इनका परीक्षण कथनों की सहायता से किया जाएगा।

शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्नों में 6 से 11 आयु वर्ग के बच्चों के शैक्षिक मनोविज्ञान और उनके सीखने एवं सिखाने की प्रक्रिया आदि की जानकारी पर आधारित होंगे। इस विषय की तैयारी करते समय बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं के बारे में समझ और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर शिक्षण–अधिगम प्रक्रिया का निर्धारण कर पाना कक्षा में सीखने की प्रक्रिया को सफल बनाने हेतु एक बेहतर सुविधादाता के रुप में शिक्षक की भूमिका और विभिन्न प्रकार के कक्षागत अंतःक्रियाओं की जानकारी एवं आधुनिक शिक्षण प्रविधियों/तकनीकों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे।

भाग–4
सामान्य हिन्दी

व्याकरण **10 अंक**

- **वर्ण विचार–**

  स्वर,व्यंजन,अक्षर, वर्तनी, लिंग वचन आदि।

- **शब्द रचना–**

  उपसर्ग,प्रत्यय,समास, अनेक शब्दों या वाक्यांश के लिए एक शब्द

- **शब्द विचार–**

  स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग– तत्सम,तद्भव, देशज, विदेशी।

- **अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद–**

  पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी।

- **पद व पद –**

  भेद– संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम,विशेषण, क्रिया, कारक,चिन्हन

- **वाक्य परिचय–**

  वाक्य के अंग, वाक्य के भेद।

- **रचना–**मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ।

- **भाषाई कौशलों का अध्यापन–**

  श्रवण, वाचन,लेखन एवं पठन कौशल

- **विराम चिह्न**– प्रमुख प्रकार

- **व्याकरणीय अशुद्धियाँ**

PART –V

General English **10 Marks**

UNIT – I: GRAMMAR – (3)

1) Part of Speech:
   a) Count Non-Count Nouns
   a) Pronouns - Relative Possessive
   b) Adjective (Attributive use)
   c) Adverbs (End Position)
   d) Preposition (in, on, at) for Time and Place
2) Simple Sentences:
   a) Imperative Sentences
   b) Simple Sentences
   c) Infinitive
   d) Present Praticiple, Past Participle
   e) Gerund
3) Compound Sentences with “and” “but”
4) Determiners - Some, any, little, a little, few, a few
5) Tense - Present progressive
   Present Simple
   Past Simple

Use of for future Time

6) If Clause (First Condition)
   If you work hard, you will pass.
7) Question Framing -
   Wh-Question, Yes/NoType Question
8) Articles - A, An, The
9) Modals:
   Can (Showing Capability)
   May (Seeking Permission)
   Should (Giving Advice)
   Would (Showing Possibility)
10) Change of Voice -
    (Simple present and past tense with Agent)
11) Narration
    Simple Sentence (present past and future tense)

UNIT – II: VOCABULARY (3)

1. One word substitution
2. Spellings
3. Opposite words (Perfixes-un,dis-,in-)
4. Suffixes

UNIT – IV: Reading (4)

Passage with objectives question

(संजय कुमार ओझा)
संचालक
एस.सी.ई.आर.टी,छ.ग.रायपुर

डी.एड. ऑनलाइन आबंटन 2015 हेतु दिशा–निर्देश

राज्य के एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता प्राप्त एवं विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता प्राप्त शासकीय, शिक्षा महाविद्यालयों, अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों एवं गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डाइट/बी.टी.आई/अनुदान प्राप्त अशासकीय बी.टी.आई. व गैर अनुदान प्राप्त शिक्षा महाविद्यालयों में संचालित डी.एड. पाठ्यक्रम 2015–16 में प्रवेश प्री.डी.एड. 2015 की प्रावीण्य सूची के आधार पर ऑनलाइन आबंटन के माध्यम से संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा किया जाना है। ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया हेतु विस्तृत जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में दी जा रही है। प्री.डी.एड परीक्षा के परिणाम घोषित हाने के पश्चात् छ.ग. राज्य के दो बहुप्रसारित दैनिक अखबारों में केवल आबंटन प्रक्रिया का कार्यक्रम प्रकाशित किया जायेगा। आबंटन कार्यक्रम की जानकारी एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर के बेवसाइट http://scert.cg.gov.in में भी उपलब्ध होगी।

आबंटन प्रक्रिया हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं –

1. बी.एड./डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्रता :–

डी.एड. पाठ्यक्रम – डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 स्तर (हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट परीक्षा) में न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक है। छ.ग. राज्य के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को डी.एड. प्रवेश नियम के अनुसार अर्ह परीक्षा के प्राप्तांक में 5 प्रतिशत की छूट का प्रावधान होगा।

2. विकल्प फार्म भरने के आवश्यक दस्तावेज –

डी.एड. पाठ्यक्रम – डी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए इच्छुक अभ्यर्थी विकल्प फार्म भरने के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की मूलप्रति व सत्यापित छायाप्रति के साथ अपने पास के MKCL केन्द्र में उपस्थित होंगे।

- **I.** 300/– की प्रक्रिया शुल्क के चालान की संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् रायपुर की प्रति। प्रक्रिया शुल्क एस.सी.ई.आर.टी. के SBI **पावर ज्योति एकाउन्ट क्रमांक 32402461389** में चालान के माध्यम से जमा होगा। चालान का प्रारूप एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट में दिया गया है। यह चालान एक बार जमा करने के बाद किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार का शुल्क अभ्यर्थियों को नहीं देना होगा।
- **II.** प्री. डी.एड. परीक्षा 2015 की अंकसूची (इंटरनेट वाली अंकसूची भी मान्य है)
- **III.** अर्हकारी परीक्षा– हायर सेकेण्डरी सर्टिफिकेट (10+2) परीक्षा की अंकसूची लाना अनिवार्य होगा।
- **IV.** जन्मतिथि हेतु 10वीं/12वीं की अंकसूची या सक्षम अधिकृत प्राधिकारी/संस्था से प्रदान किया गया जन्म प्रमाण पत्र।
- **V.** आरक्षित वर्ग व संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र।
- **VI.** छ.ग. शासन प्रवेश नियम 2007 के 3 (ख) के तहत छत्तीसगढ़ के स्थायी निवासी संबंधी प्रमाण पत्र।
- **I.** नाम/उपनाम परिवर्तन संबंधी शपथपत्र। (प्री.बी.एड./प्री.डी.एड. परीक्षा फार्म में दिये गये नाम में परिवर्तन मान्य नहीं होगा)
- **VII.** एक पासपोर्ट साइज का फोटो।

MKCL केन्द्रों के नाम व पता

3. ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने का स्थान :– डी.एड. के लिए प्री.डी.एड. परीक्षा 2015 में बैठे ऐसे इच्छुक अभ्यर्थी जो डी.एड. पाठ्यक्रम हेतु छ.ग. डी.एड. प्रवेश नियम 2007 के अनुसार अर्हताएं रखते हैं तथा उन्हें अनुमान है कि उन्हें डी.एड. (जो लागू हो) पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल सकता है, MKCL के निम्नलिखित केन्द्रों में ऑनलाइन आबंटन प्रक्रिया में विकल्प फार्म भरने के लिए निर्धारित दिवसों में प्रातः 9.30 बजे से संध्या 5.30 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर विकल्प फार्म भर सकते हैं–

क्र.	विकल्प फार्म भरने हेतु MKCL केन्द्र के नाम व पता	जिला	शहर	दूरभाष नंबर
1.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	07774–230799
2.	ग्लोबल मल्टीमीडिया हनुमान मंदिर के पास डी.सी. रोड़	अम्बिकापुर	अम्बिकापुर	78692–93997 97536–45205
3.	आदर्श एकेडमी ऑफ आई.टी. मुस्कान भवन, न्यू सरकंडा	बिलासपुर	बिलासपुर	88238–10489
4.	जी.टी.बी. एकेडमी, हनुमान मंदिर के पास नेहरू नगर बिलासपुर	बिलासपुर	बिलासपुर	07752–271311 93000–21347
5.	एम्स कम्प्यूटर, डी.पी.विप्र कॉलेज के पास हाईकोर्ट रोड	बिलासपुर	बिलासपुर	07752–407578
6.	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पेण्ड्रा	बिलासपुर	बिलासपुर पेन्ड्रा	07751–224718
7.	डी.टेक कम्प्यूटरर्स, बी.एस.एन.एल ऑफिस के सामने राजकिशोरनगर	बिलासपुर	बिलासपुर	07752–427708 92298–28788
8.	अनिमेश कम्प्यूटर निरालानगर बस स्टेशन रोड	बिलासपुर	बिलासपुर	07752–404740 9302754329
9	SPS Training & Technology (I) Pvt. Ltd. Kamla Kutir, Jamuna Prasad Verma Bhawan, Nehru Chowk Bilaspur	बिलासपुर	बिलासपुर	07752–419144
10	आकृति इंस्टीट्यूट ऑफ आई.टी. ओस्जवी नर्सिंग होम के सामने गुलमोहर वाटिका ,रूद्री रोड	धमतरी	धमतरी	98264–32896 93028–32896 07722–236994
11	लॉजिक गेट, नंबर–1 स्टील कालोनी जी.ई. (बाई पास रोड) स्टील कॉलोनी, नेहरूनगर पश्चिम	दुर्ग	भिलाई	93293–50154 73548–83351
12	हिमांशु इनफोटेक, 108 न्यू सिविक सेंटर	दुर्ग	भिलाई	0788–4062445 99071–83175
13	भारतीय कॉलेज (बी.आई.आई.टी.) पुलगांव चौक दुर्ग	दुर्ग	भिलाई	9826322230 93001–19838
14	पेस एकेडमी सिन्धी कालोनी डॉ सिद्द्विकी क्लिनिक के उपर स्टेशन रोड गुरूद्वारा के पास	दुर्ग	दुर्ग	0788–4013474 78983–83772 98271–71227
15	अशरफिया इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साई मंदिर के पास कसारीडीह	दुर्ग	दुर्ग	0788–2326540 93023–53905
16	क्रेडेन्स गर्ल्स कॉलेज पटेल कॉम्पलेक्स पदमानाभपुर	दुर्ग	दुर्ग	0788–2329922 93018–36000
17	अपोलो कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन वेटनरी कॉलेज के सामने अंजोरा	दुर्ग	अंजोरा	07882–623444 93028–34648
18	मनसा कॉलेज कोहका कुरूद रोड़ भिलाई	दुर्ग	भिलाई	0788–3201582 9893750431
19	शिवा कॉलेज, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई	दुर्ग	भिलाई	0788–2295350 9229475290

20	भिलाई कॉलेज ऑफ आई.टी. जामुल भिलाई वार्ड 4, चंडी मंदिर वार्ड अहिरवारा	दुर्ग	भिलाई	0788–4031830 9993728325
21	रूगटा कॉलेज ऑफ साइंस एण्ड टेक्नालॉजी जी.ई.रोड़ गंजपारा, दुर्ग	दुर्ग	दुर्ग	0788–2322552 99930–10010 92293–44424
22	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय हुडको, आमदीनगर हुडको भिलाई–दुर्ग	दुर्ग	भिलाई	0788–2241600 96857–89815
23	एम.जे.कॉलेज कोहका जुनवानी रोड	दुर्ग	भिलाई	0788–2294055 98931–20381
24	कल्यांण पी.जी. कालेज सेक्टर 07 भिलाई नगर	दुर्ग	दुर्ग	0788–223665 98271–06750
25	साइबर स्पाट बी.7 नेशनल हाईवे 12 ए. सुन्दरनगर रायपुर रोड बेमेतरा	बेमेतरा	बेमेतरा	93002– 55631 07824–222098 93002–55623
26	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बस्तर	बस्तर	जगदलपुर	07782–262267
27	यूनिक कम्प्यूटर ऑफ एजुकेशन जैन मंदिर रोड	बस्तर	जगदलपुर	07782–226632 94252–61196
28	सूर्या कॉलेज, गीदम रोड	बस्तर	जगदलपुर	97555–29670
29	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान जशपुर	जशपुर	जशपुर	07763–223197
30	शर्मा कम्प्यूटर्स करबला चौक	जशपुर	जशपुर	07763–223600 94252–52975
31	देव कम्प्यूटर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के पास	जशपुर	जशपुर	94060–27963
32	फयूचर ब्राइट कम्प्यूटर एजूकेशन कुर्मी छात्रावास बस स्टेन्ड के पास कवर्धा	कवर्धा	कवर्धा	93004–29449 7566643699
33	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कोरबा	कोरबा	कोरबा	07759–225328
34	राहेन कम्प्यूटर निहारिका टॉकिज के पास	कोरबा	कोरबा	07759–226144 81035–23771
35	Education Planet Infront of DD Market ,P.H Road	कोरबा	कोरबा	9425226685
36	(ICDE) कम्प्यूटर एजुकेशन, Opp Bunkar Society ,Amapara, Raipur	रायपुर	रायपुर	7587145303
37	शिवांता टेक्नालॉजी बिंदा सोनकर स्कूल के सामने, अश्वनी नगर	रायपुर	रायपुर	94079–02100 98061–06161
38	श्रीराम कालेज सारागांव, खरोरा रोड, रायपुर	रायपुर	रायपुर	8349061390 8889538957
39	सेन्ट्रल कालेज ऑफ आई.टी. आर.आई.एफ. बिल्डिंग फाफाडीह मेनरोड, रायपुर	रायपुर	रायपुर	9425208200 9425208100
40	महात्मा गांधी कॉलेज गुरूद्वारा के पीछे स्टेशन रोड	रायपुर	रायपुर	0771–4047124 94252–04469
41	रूंगटा एजुकेशन कैम्पस नंदनवन के पास वीरसावरकर नगर रायपुर	रायपुर	रायपुर	0771–6666666 92291–55566
42	सी.आई.टी. बी. एड कालेज, NH-43, भेलवाडीह, नया रायपुर	रायपुर	रायपुर	9993–234891 9826–444494
43	गुरूकुल इंस्टीट्यूट केसोछोर रोड़ प्लाट नं. 991/1	गरियाबंद	गरियाबंद	07706220325 9893388446
44	इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नालॉजी एंड साइंस जनपद कार्यालय के पीछे	गरियाबंद	गरियाबंद	07706–241502 99815–21776 99932–43702
45	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खैरागढ़	राजनांदगांव	खैरागढ़	07820 – 234204
46	अरिहंत कम्प्यूटर एजुकेशन दिग्विजय कालेज रोड़ सोनार पारा त्रिपूरा किराना के सामने विजन इन्फोटेक के सामने	राजनांदगांव	राजनांदगांव	07744–409555 93292–52329

47	सी–टेक कम्प्यूटर एजुकेशन बालेराय स्टेडियम के सामने मेनरोड	जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	07819–244288 93010–30379
48	जगरानी देवी शिक्षा महाविद्यालय बारद्वार	जांजगीर चांपा	बारद्वार	07757–278421 94790–38751
49	नोबल कम्प्यूटर, राजीव चौक, मेन रोड	नारायणपुर	नारायणपुर	94255–18385
50	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कांकेर	कांकेर	कांकेर	07868–224543
51	नेशनल कम्प्यूटरर्स चर्च के पास	कांकेर	कांकेर	98278–87087 94252–61817
52	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान धर्मजयगढ़	रायगढ़	धर्मजयगढ़	07766–266250
53	प्रोग्रेसिव कम्प्यूटर गुरूनानक स्कूल के पास कोस्टापारा नयागंज	रायगढ़	रायगढ़	07762–225540 94252–52051 74897–15491
54	इण्डियन कम्प्यूटर इंस्टीट्यूट स्टेशन रोड के पास	महासमुंद	म्हासमुंद	07723–222121 98265–17661 94252–15613
55	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान महासमुंद	महासमुंद	महासमुंद	07723–224781
56	ट्रैक कम्प्यूटर साडा काम्पलेक्स ए–12 बस स्टैण्ड	दंतेवाड़ा	दंतेवाड़ा	07856–252324
57	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	07856–252283, 252284
58	VII Tech Computer College C/o नाईसटेक कम्प्यूटर कॉलेज, झगराखण्ड रोड, विवेकानंद कॉलेज के पास मनेन्द्रगढ कोरिया	कोरिया	मनेन्द्रगढ	07771–241927 93015–87039
59	एनेक्स कम्प्यूटर एजुकेशन गायत्री मंदिर काम्प्लेक्स पैलेस रोड	रायगढ़	सारंगढ़	07768–233902 93009–60024
60	SAIT कम्प्यूटर मारिया कालोनी शासकीस अस्पताल के सामने पत्थलगांव	जशपुर	पत्थलगांव	07765–234000 94241–83777 9993443101
61	ज्ञानदीप हायर सेकेण्डरी स्कूल, जांजगीर	जांजगीर चांपा	जांजगीर चांपा	07817–222656 94252–30436

4. आवश्यक दिशा निर्देश –

(A) **अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश** – ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने की प्रक्रिया एस.सी.ई.आर.टी. http://scert.cg.gov.in एवं MKCL के वेबसाइट में होगी। डी.एड. के लिए MKCL का बेबसाइट http://oasis.mkcl.org/cgded2015 व बी.एड. के लिए MKCL का बेबसाइट http://oasis.mkcl.org/cgbed2015 है।

1- MKCL केन्द्रों की सूची एस.सी.ई.आर.टी.के वेबसाइट में दी गई है। इसमे परिवर्तन होने की स्थिति में समाचार पत्रों में उल्लेख किया जायेगा। इसका अध्ययन अवश्य कर लेवें।

2- विकल्प फार्म भरने के लिए समयसारणी की जानकारी प्री.डी.एड. के परिणाम घोषित होने के पश्चात् राज्य के दो बहुप्रसारित दैनिक समाचार पत्रों एवं वेबसाइट में प्रकाशित किये जायेंगे।

3- अभ्यर्थी अपनी सुविधानुसार नजदीकी MKCL केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन विकल्प फार्म भर सकेंगे।

4- MKCL केन्द्र में उपस्थित होने के पूर्व अभ्यर्थी को आवश्यक दस्तावेज क्रमांक 2 के अनुसार अपने साथ रखना होगा।

5- विकल्प फार्म का प्रारूप एस.सी.ई.आर.टी. के वेबसाइट पर दिया गया है।

(B) **MKCL केन्द्र में जाने के बाद अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश –**

1- विकल्प फार्म में दी जाने वाली जानकारियाँ भरें तथा भरी हुई जानकारी का मिलान संलग्न प्रमाण पत्रों से कर लेवें।

2- विकल्प फार्म अभ्यर्थी की उपस्थिति में ही ऑनलाइन भरा जाना है। इसके लिए केन्द्र प्रभारी का सहयोग लेवें।

3- प्री. डी.एड. की अंक सूची में निम्नलिखित जानकारी व्यापम् द्वारा ली जाती है जैसे– नाम, उपनाम, जाति, आरक्षित श्रेणी व स्नातक के प्राप्तांक को देख लेवें, सही है तो विकल्प फार्म भरने की प्रक्रिया करें। यह ध्यान रखें कि व्यापम् द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा बेस में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा सुधार एस.सी.ई.आर.टी.द्वारा नहीं किया जावेगा।

4- इसके पश्चात् **MKCL** केन्द्र प्रभारी अभ्यर्थियों द्वारा दी गई जानकारी तथा भरे गये विकल्प फार्म की ऑनलाइन एन्ट्री करेंगे। अभ्यर्थी की सहमति प्राप्त हो जाने के बाद 2 प्रिन्ट आउट निकालें। दोनों प्रिन्ट आउट का अभ्यर्थी को अवलोकन करायें।

5- किसी प्रकार की त्रुटि होने की स्थिति में उसे ऑनलाइन ठीक करने के पश्चात् दुबारा प्रिन्ट आउट निकलवायें।

6- अभ्यर्थी के सन्तुष्ट होने के पश्चात् दोनों प्रिन्ट आउट पर MKCL केन्द्र के प्रभारी व अभ्यर्थी हस्ताक्षर करेंगे।

7- विकल्प फार्म की एक प्रति केन्द्र अपने पास अनिवार्यतः रखेंगे तथा एक अभ्यर्थी को देगें। यदि किसी कारणवश प्रिन्ट नहीं निकल रहा हो तो विकल्प फार्म नहीं भरवायेंगे।

8- अभ्यर्थियों को यह सलाह दी जाती है कि वे उन्हीं महाविद्यालयों का विकल्प देवें जहाँ वे प्रवेश लेने के लिए इच्छुक है क्योंकि महाविद्यालय आबंटित होने के बाद केवल एक बार आबंटन निरस्त कराकर पुनः विकल्प फार्म भरने का प्रावधान है। प्रवेश लेने के पश्चात् महाविद्यालय परिवर्तन या आपसी स्थानातंरण का कोई प्रावधान नहीं है।

9- **MKCL** केन्द्र में ऑनलाइन विकल्प फार्म भरने के पश्चात अभ्यर्थी को उनका **Login ID** उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस **Login ID** का पासवर्ड अभ्यर्थी के रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर भेजा जायेगा। अभ्यर्थी का विकल्प फार्म क्रमांक (आपशन फार्म नं.) ही उनका **Login ID** होगा।

10- आबंटन साफ्टवेयर के द्वारा किया जाता है।

11- अभ्यर्थी अपने महाविद्यालय आबंटन की सूचना निम्नलिखित माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं –

I. निर्धारित दिवस को जहां विकल्प फार्म भरा है, उस केन्द्र में पहुँचकर एवं वहाँ सूची देखकर।

II. एस.सी.ई.आर.टी. के **Websit : http://scert.cg.gov.in** में तथा डी.एड. के लिए http://oasis.mkcl.org /cgded2015 मे अपना विकल्प फार्म क्रमांक submit कर देख सकते हैं।

III. अभ्यर्थी के चयन की सूचना एवं चयन होने पर अभ्यर्थी का अस्थाई आबंटन पत्र अभ्यर्थी को उसके **Login ID** पर उपलब्ध कराई जायेगी। चयन की किसी प्रकार की सूचना डाक के द्वारा नहीं दी जायेगी।

IV. अभ्यर्थी अपना मोबाइल नं. डाला हो तो एस.एम.एस. द्वारा भी उन्हें जानकारी प्राप्त हो सकती है मगर एस.एम.एस.नहीं मिलने पर इसकी जवाबदारी एस.सी.ई.आर.टी. की नहीं होगी।

12- महाविद्यालय आबंटित होने के पश्चात् MKCL के साइट में आबंटन पत्र के विकल्प में जाकर अपना Application No. या प्री.डी.एड. परीक्षा का रोल नम्बर डालकर अभ्यर्थी अपना अस्थाई आबंटन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। अस्थाई आबंटन पत्र इंटरनेट से कहीं भी निकाला जा सकता है। अपने **Login** में विकल्प फार्म क्रमांक रोल नम्बर Submit कर भी आबंटन पत्र प्राप्त कर सकता है।

(C) चयनित अभ्यर्थी का महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित होने की प्रक्रिया –

1. राज्य के बाहर के आबंटित अभ्यर्थियों को आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेने से पहले संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।
2. अभ्यर्थी को आबंटित महाविद्यालय में अस्थाई आबंटन पत्र एवं जिन दस्तावेजों की सत्यापित छायाप्रति विकल्प फार्म के साथ संलग्न किए गए थे, उसके मूल दस्तावेजों के साथ प्रवेश लेने के लिए निर्धारित तिथि में प्रवेश लेना होगा। प्रवेश के लिए निर्धारित तिथि तक प्रवेश न लेने पर अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर हो जायेंगे।
3. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए अधिकृत अधिकारी द्वारा अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांचकर निर्धारित अवधि में उन्हें प्रवेश दिया जायेगा।
4. अगर मूल दस्तावेजों में कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो उसका चयन निरस्त कर दिया जायेगा जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। मूल दस्तावेज सही पाये जाने पर अभ्यर्थी से निर्धारित प्रवेश शुल्क लेकर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित किया जावेगा। अभ्यर्थी यह भी सुनिश्चित करें कि महाविद्यालय द्वारा उनके प्रवेश को डज्ञब्स के वेबसाइट पर अपडेट कर दिया गया है तथा ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया रसीद अनिवार्यतः प्राप्त करें। ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा पेमेन्ट किया गया रसीद नहीं होने की स्थिति में प्रवेश निरस्त माना जायेगा।
5. महाविद्यालय अभ्यर्थियों से निर्धारित प्रवेश शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का अन्य शुल्क न लेवें। अतिरिक्त शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होने पर महाविद्यालय के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
6. चयनित अभ्यर्थी यदि प्रवेश के लिए निर्धारित अवधि में महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लेता तथा चयन निरस्त कराने की सूचना भी नहीं देता है तो उसका चयन स्वमेव निरस्त हो जायेगा।
7. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का निर्णय अंतिम व बंधनकारी होगा।
8. MKCL के वेबसाइट पर महाविद्यालय अपना कॉलेज आई. डी. व पासवर्ड इंटर कर login करें तथा प्रवेशित अभ्यर्थियों की जानकारी निरंतर अपडेट करते रहें। महाविद्यालय के आबंटित सभी अभ्यर्थियों को बाइडिफाल्ट प्रवेशित माना जाता है। संबंधित महाविद्यालय में सीटों की रिक्तियों के आधार पर दूसरे चरण के सीट्स आबंटन की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी।

5. द्वितीय चरण की काउंसलिंग –

प्रथम चरण के पश्चात् रिक्त रह गई सीटों एवं द्वितीय चरण के रजिस्ट्रेशन के दौरान पूर्व प्रवेशित छात्रों के सीट छोड़ने के कारण रिक्त होने वाली सीटों के आबंटन के लिए द्वितीय चरण में वैसे ही प्रक्रिया अपनायी जाएगी, जो प्रथम चरण में थी। इसके प्रकार निम्नलिखित हैं –

4.1. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में आबंटन के पश्चात् आबंटित महाविद्यालय/MKCL केन्द्र में जाकर प्रवेश निरस्त करा चुके हैं –

1. ऐसे अभ्यर्थी यदि अपनी पूर्व आबंटित महाविद्यालय बदलना चाहते हैं तो उन्हें इसकी अनुमति है। परन्तु यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को आबंटित महाविद्यालय/**MKCL** केन्द्र में जाकर अपना प्रवेश निरस्त कराना होगा। ऐसा करने पर द्वितीय चरण के आबंटन हेतु प्रथम चरण में आबंटित महाविद्यालय शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए अभ्यर्थी को विकल्प फार्म एवं निर्धारित राशि का बैक चालान बनाने की आवश्यकता नहीं है। यह अवसर अभ्यर्थी को एक ही बार दिया जाएगा।

2. ऐसे अभ्यर्थी यदि अपने पूर्व आबंटित महाविद्यालय से संतुष्ट नहीं हैं तो उन्हें एक बार विकल्प परिवर्तन का मौका दिया जाएगा। यह प्रक्रिया करने के लिए अभ्यर्थी को उसी **MKCL** केन्द्र में पुनः जाकर विकल्प फार्म भरना एवं निर्धारित राशि का बैंक चालान बनाना अनिवार्य है।

4.2. ऐसे अभ्यर्थी जो प्रथम चरण में रजिस्ट्रेशन कराये थे परन्तु आबंटन नहीं हुआ था –

ऐसे अभ्यर्थी यदि अपना विकल्प बदलते हैं तो उन्हें निर्धारित राशि का बैक चालान जमा करना होगा। यदि विकल्प नहीं बदलना चाहते हैं तो उन्हें चालान जमा करने की आवश्यकता नहीं है। वे स्वमेव ही मेरिट के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल होंगे।

4.3. **तीन चरणों की काउंसिलिग मेरिट क्रम में की जावेगी। काउंसिलिग हेतु प्रत्येक चरण के लिए रैंक अनुसार स्लेब तैयार किया जावेगा जिसकी सूचना समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से दी जावेगी।**

4.4. ऐसे अभ्यर्थी जो किसी चरण में रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाये थे वे बाद के चरणों में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐसा करने के लिए अभ्यर्थी को प्रथम चरण के निर्देशों का पालन करना होगा।

4.5. प्रत्येक चरण में विकल्प भरने की अंतिम तिथि के अगले दिन उस चरण हेतु शामिल किये जाने वाले पात्र अभ्यर्थियों की सूची डझाब्ह के वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस सूची में अपना नाम देख लें।

6. किसी भी विवाद की स्थिति में संचालक, एस.सी.ई.आर.टी. रायपुर का निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा।

संचालक
एस.सी.ई.आर.टी.छ.ग.रायपुर

State Council of Educational Research & Training, Chhattisgarh Shankar Nagar, Raipur

राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रषिक्षण परिषद्, छत्तीसगढ़, शंकर नगर, रायपुर

Telephone-0771-2443596 Fax-0771-2443496 Website: www.scert.cg.gov.in Email: scertcg@gmail.com

D.Ed. Admission Process 2015-16 Option From Pre - D.Ed Exam

Recent passport size photograph

1. Pre – D.Ed. Exam Roll No.
2. Application Form No.
3. Mark Obtained in Pre D.Ed. Exam
4. Overall Rank No.

Personal Details

5. Are You Domicile of Chhatisgarh Yes No
6. Applicants Full Name (Capital letters only)
7. Gender Male Female Date of Birth D D M M YYYY
9. Phone No. STD
10. Mobile No.
11. Email ID

Name the district from where you belong

Reservation Details For Chhattisgarh Domicile only - (Tick (√) Appropriate Details)

Reservation Category GENERAL SC ST OBC

(Non-Creamylayer Certificate is Compulsory for OBC Candidate)

Are you physical Handicap ? Yes No

Are you Son/grandson/daughter/granddaughter of Freedom Fighter ? Yes No

Are you Son/daughter of Ex-Serviceman (Bhutpurva Sainik) ? Yes No

12th Details

Name of the board of 12th Examination

District in Which School/Study Center is Located

Name of the School/Junior College

Stream from which 12th is completed Science Other than Science

Marks as shown on 12th Standard Mark List

Marks	Out of	Percentage	Month and Year of Passing

Challan Details

Bank Transaction Number [ ] Challan Amount [ ] City Name [ ]

Challan Date [ ] Bank Name [ ] Branch Name [ ]

College Preferences

Please Note; You may able to give the preferences for DIET/BTI belonging to your district only & all the private D.Ed. colleges.

Enter College Code

1	**2**	**3**	**4**	**5**
6	**7**	**8**	**9**	**10**
11	**12**	**13**	**14**	**15**
16	**17**	**18**	**19**	**20**
21	**22**	**23**	**24**	**25**
26	**27**	**28**	**29**	**30**
31	**32**	**33**	**34**	

DIET/BTI Preferences

(If You are not allotted college in any of the above due to your position in merit list then please select your district wise preference for college allotment)

1	**2**	**3**	**4**	**5**
6	**7**	**8**	**9**	**10**
11	**12**	**13**	**14**	**15**
16	**17**			

Declaratlion

I herby declare that all the information furnished by me in this Option Form is true and complete to the best of my knowledge and belief. I understand that entries made by me in this Option Form are final and binding on me. I further declare that in the D.Ed. Admission process if any information being found false or incorrect I shall be liable for action taken by Director, SCERT.

Place : -
Date :-

Signature of Candidate

इसका उपयोग डी.एड. हेतु चालान बनवाने के लिए कर सकते हैं।

CHALLAN FOR Pre D.Ed COUNSELLING

CANDIDATE COPY

State Council of Educational research and Training, Chhattisgarh, Raipur

SBI Power Jyoti A/c No 32402461389

Date ……………………………………

Pre D.Ed – 2015 Roll. No. ……………

Name of Applicant ………………………

………………………………………….

Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 300/- (Rs. Three Hundred Only)

Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately

Signature of Depositor ……………………..

SBI Branch Name ………………………….

Amount deposited …………………………..

SBI Reference/Transaction No.....................

(To be Filled by Bank)

Bank"s Seal & Authorized Signature

CHALLAN FOR Pre D.Ed COUNSELLING

SCERT COPY

State Council of Educational research and Training, Chhattisgarh, Raipur

SBI Power Jyoti A/c No 32402461389

Date ………………………………………

PreD.Ed.-2015 Roll No. ………………......

Name of Applicant ……………………….

………………………………………….

Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 300/- (Rs. Three Hundred Only)

Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately

Signature of Depositor …………………........

SBI Branch Name …………………………......

Amount deposited …………………………......

SBI Reference/Transaction No.......................

(To be Filled by Bank)

Bank"s Seal & Authorized Signature

CHALLAN FOR Pre D.Ed COUNSELLING

BANK COPY

State Council of Educational research and Training, Chhattisgarh, Raipur

SBI Power Jyoti A/c No 32402461389

Date ………………………………………

PreD.Ed.-2015 Roll No. …………………..

Name of Applicant ……………………….

……………………………………………..

Amount to be deposited as counseling fees – Rs. 300/- (Rs. Three Hundred Only)

Bank Charges Rs. 25/- (Rs. Twenty Five Only) to be deposited separately

Signature of Depositor …………………….

SBI Branch Name …………………………

Amount deposited …………………………

SBI Reference/Transaction No...........................

(To be Filled by Bank)

Bank"s Seal & Authorized Signature